उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन,
लखनऊ।

संख्याः 1331/कार्य–14/पाकालि/2009–29–के0/83   दिनांकः ९ नवम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा 25 के0वी0ए0 क्षमता, 11/.4 के0वी0 थ्री स्टार रेटिंग के 40,000 नग वितरण परिवर्तकों का क्रय किया गया है। इन परिवर्तकों की थ्री स्टार रेटिंग एवं तकनीकी विशिष्टीकरण के अनुरूप आपूर्ति में गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी है। सभी निरीक्षण अधिकारी जो निर्माता वर्क्स पर गुणवत्ता के निरीक्षण/परीक्षण हेतु जायेंगे उनके द्वारा क्रय आदेश में तकनीकी विशिष्टीकरण एवं सम्बन्धित आई0एस0एस0 में दिये गये प्राविधानों को सुनिश्चित करते हुए निम्न कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।

(अ) स्टेज इन्सपैक्शन

(1) (a) सी0आर0जी0ओ कोर ग्रेड एम0–4 प्रयोग की गयी है तथा कोर का भार।
 (b) कोर की लेमिनेशन प्लेट धूल एवं जंग रहित होना चाहिए तथा उस पर स्कैचेस (खरोच/रगड़) नहीं होना चाहिए।

(2) लिम्ब सेन्टर से कोर की दूरी, विन्डो की ऊंचाई तथा कोर के सैक्सन का आकार(साईज) भी नापा जाये।

(3) एल0टी0 एवं एच0टी0 तार का गेज तथा उनके क्वायल में No. of Turns ।

(4) क्लीयरेन्स मेजरमेन्ट
 (a) कोर का डायमीटर एवं एल0टी0 क्वायल की आई0डी0
 (b) एल0टी0 क्वायल की ओ0डी0 एवं एच0टी0 क्वायल की आई0डी0।
 (c) फेज टू फेज क्लीयरेन्स।
 (d) एच0वी0 एवं एल0वी0 क्वायल्स का End clearance।

सफल स्टेज इन्सपैक्शन के बाद कोर एवं क्वायल एसैम्बली की डायगनली टाई राड पर पालीकार्बोनेट सील लगायी जाये।

(ब) फाईनल निरीक्षणः–

(1) यद्यपि सभी निर्माताओं के पास तीन फेज पावर एनालाईजर होगा। तथापि विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण अधिकारी **"नो लोड"** एवं **'लोड'** लोसेस के परीक्षण हेतु विभागीय पावर एनालाईजर का उपयोग करेंगे।

(2) प्रत्येक बैच/लाट में से रेण्डम आधार पर चयन कर न्यूनतम एक का टैम्परेचर राईज टेस्ट किया जाये।

(3) कोर एवं क्वायल एसैम्बली एवं परिवर्तक का कुल भार भी लिया जाये तथा इसका जी0टी0पी0 से मिलान किया जाये।

(4) सफल परीक्षण/निरीक्षण के बाद परिवर्तक के टाप कवर पर डायग्नली विपरीत वोल्ट पर पोलीकार्बोनेट सील डाली जाये।

उक्त के अतिरिक्त निम्न कार्यवाही भी सुनिश्चित की जानी होगीः–

(1) भण्डार स्थल पर आपूर्ति होने वाले सभी परिवर्तकों का लोड लास एवं नो लोड लास तथा नो लोड करेन्ट का मापन/जॉच प्राप्तकर्ता स्टोर पर पावर एनलाइजर द्वारा किया जायेगा तथा कुल लासेज की सीमा 100% भार एवं 75^0C पर 695 वाट तथा 50% भार एवं 75^0C पर 210 वाट से कम होने पर ही भुगतान किया जायेगा।

(3) आपूर्तित परिवर्तक इन्स्टालेशन से 3 वर्ष की गारण्टी युक्त होगा।

(4) परिवर्तक की कोर के कय के समय आयात सम्बन्धी प्रपत्र एवं आयातकर्ता के बिल की फोटोकापी आपूर्तिकर्ता द्वारा निरीक्षण आफर के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) आपूतिकर्ता फर्म निरीक्षण आफर देने से पूर्व थ्री स्टार रेटिंग परिवर्तक की अंतिम व पूर्ण टाइप टेस्ट रिपोर्ट कयादेश निगर्त करने वाले कार्यालय एवं एक प्रति सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक डिस्काम को जहां परिवर्तक की अपूर्ति की जायेगी, को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

(6) निरीक्षणकर्ता दल द्वारा शत प्रतिशत परिवर्तकों का नो लोड लास, लोड लास एव नो लोड करेन्ट का मापन किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि इनका विवरण निरीक्षर्णकर्ता अधिकारी द्वारा अपने पास सुरक्षित रखते हुए डिस्काम मुख्यालय तथा कन्साइनी को उपलब्ध कराया जाये। परीक्षण के पश्चात सभी परिवर्तक निरीक्षणकर्ता द्वारा जॉचोंपरान्त अपने समक्ष सील कराये जायेंगे।

(7) नो लोड एवं लोड हांनियॉ विशिष्टि के मानकों से अधिक पाये जाने की स्थिति में अपूर्तिकर्ता के सम्बन्धित लाट की डिलीवरी नहीं ली लायेगी।

(8) परिवर्तक प्राप्त होने अथवा स्थापित किये जाने के पश्चात रेन्डम सैलेक्शन के आधार पर चुनकर प्रत्येक फर्म का एक परिवर्तक की जॉच मे0 सी0पी0आर0आई0 बैंगलौर से करायी जायेगी जिसका व्यय विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। यह जॉच सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपनी कम्पनी के अधीक्षण अभियन्ता(भण्डार) के माध्यम से करायी जायेगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

फैक्स

(1) समस्त प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल–लखनऊ, पश्चिमांचल–मेरठ, पूर्वान्चल–वाराणसी, दक्षिणांचल– आगरा, द्रांस्को–लखनऊ, केस्को–कानपुर।

(2) समस्त निदेशकगण / का0प्रा0 एव0 प्रशा0 / वित्त / वितरण / वाणिज्य, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

(3) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

(4) अपर प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

(5) अपर सचिव, 1 / 2 / 3/अराजपत्रित, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

फैक्स

(6) समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र), विद्युत वितरण निगम लि0।

फैक्स

(7) अधीक्षण अभियन्ता, इलेक्ट्रीसिटी स्टोर सर्किल, मध्यांचल / पश्चिमांचल / पूर्वांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ / मेरठ / वाराणसी / आगरा।

आज्ञा से,

(ए0के0 गुप्ता)
उप सचिव(कार्य)